डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 1997—चैत्र 7, शके 1919

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद् मे पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)— कुछ नहीं

भाग ४ (ख)— कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 1997

क्र. बी. 25-13-96- पीडब्ल्यूसी -चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 के उप नियम (2) में, शब्द ''कोषालय अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''पेंशन वितरण प्राधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पब्लिक सेक्टर बैंक)'' स्थापित किये जाएं.

No.B-25-13-96-PWC-IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in sub-rule (2) of Rule 10, for the words "Treasury Officer" the words "Pension disbursing Authority/Public Sector Bank" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. जी. लिमये, उपसचिव.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1997

क्र. 1-51(ए)-86-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची तीन में सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी) के मामने कालम (5) की प्रविष्टियों में ''विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी'' के स्थान पर ''मैकेनिकल इंजीनियरी'' स्थापित किया जाये.

2. यह संशोधन 15 फरवरी 1987 से स्थापित किया गया समझा जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. अस्थाना, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1997

क्र. 1-51(ए)-86-1-चौंतीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-51-(ए)-86-1-चौंतीस, दिनांक 13 मार्च 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. अस्थाना, सचिव.

Bhopal, the 13th March 1997

No. 1-51(A)-86-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

In Schedule III, in the entry in column (5) for "Electrical/Mechanical Engineering" the words "Mechanical Engineering" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th October 1987.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A.N.ASTHANA, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1997

क्र. 1-51(बी)-86-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची दो में, सहायक यंत्री (सिविल) और सहायक यंत्री (विद्युत् और यांत्रिकी) के सामने कॉलम (4) और (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(4)	(5)
50 प्रतिशत	35 प्रतिशत उपयंत्री संवर्ग से 5 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग से 10 प्रतिशत डिग्री उपयंत्री संवर्ग से

2. यह संशोधन 7 फरवरी 1989 से स्थापित किया गया समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. अस्थाना, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1997

क्र. 1-51(बी)-86-1-चौंतीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-51-(बी)-86-1-चौंतीस, दिनांक 13 मार्च 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. अस्थाना, सचिव.

Bhopal, the 13th March 1997

No. 1-51(B)-86-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

In Schedule II, for the entries in column (4) and (5) against Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) for the

exsiting entries, the following entries shall be substituted respectively, namely:—

(4)	(5)
50%	35% from the cadre of Sub-Engineers. 5% from the cadre of Head Draughtsmen/ Draughtsmen. 10% from the cadre of Degree holder Sub-Engineers.

2. This amendment shall be deemed to have been substituted with effect from the 7th February, 1989.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A.N.ASTHANA, Secy,

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 1997

क्र. एफ 7-126-95-ब-2-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची दो में, अनुक्रमांक (6) तथा उससे संबंधित प्रशासनिक प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6"	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	100%	-	-

2. अनुसूची चार में, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त में जोडी जाय, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"तदैव"	कार्यालय अधीक्षक (तृतीय श्रेणी)	प्रशासनिक अधिकारी	5 वर्ष	-	-	1. प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग. —अध्यक्ष 2. अपर सचिव/उप सचिव गृह विभाग. —सदस्य 3. संचालक, चिकित्सा विधिक संस्थान. —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि. —सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 1997

क्र. एफ. 7-126-95-ब-2-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-126-95-ब-2-दो, दिनांक 14 मार्च 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. शर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th March, 1997

No. F. 7-126-95-B-2-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Medico Legal Institute (Gazetted) Service recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule II, for serial number 6 and entries relating there-to, the following serial number and entries relating there to shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6"	Administrative Officer	1	-	100%	-	-

2. In Schedule IV, the following entries shall be added at the end, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"do"	Office Superintendent. (class III)	Administrative Officer.	5 years	-	-	1. Principal Secretary/ Secretary Home Dept. — Chairmen 2. Additional Secretary/ Deputy secretary Home Dept. —Member 3. Director Medico Legal Institute. — Member 4. Representative of Schedule Caste/Schedule Tribe. — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
I.N. SHARMA, Addl. Secy.